कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

फाइल संख्या: CRL-2020-21-000059
दिनांक: 20.02.2026

विषय: लेबनान को चावल निर्यात के संबंध में परामर्श।

कृषि मंत्रालय, लेबनान सरकार ने दिनांक 22 जनवरी, 2026 को एपीडा को भेजे गए अपने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि लेबनान ने आयातित चावल के लिए कीटनाशक अवशिष्टों के संबंध में यूरोपीय मानकों के अनुरूप विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित की हैं।

पिछले एक वर्ष में, आयातित चावल की कई खेपें कीटनाशक अवशिष्टों से दूषित होने के कारण अस्वीकार कर दी गईं, क्योंकि इनमें कीटनाशक अवशिष्टों की मात्रा यूरोपीय संघ के नियमों के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम अवशिष्ट स्तर (एमआरएल) से अधिक थी। हालांकि, लेबनानी अधिकारियों से उक्त अस्वीकृतियों के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना/सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इस संबंध में, निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे जोखिम कम करने के उपाय लागू करें या यूरोपीय संघ के नियमों के अंतर्गत अनुमत एमआरएल से अधिक अवशिष्ट वाले चावल की खेप का निर्यात करने से बचें।

विनीता सुधांशु

महाप्रबंधक

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।